



2026:AHC:52997

इलाहाबाद स्थित उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 1758/2026

प्रमोद कुमारयाचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ एवं 3 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: मान बहादुर सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: विवेक कुमार सिंह, ए.एस.जी.आई.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. आज दाखिल प्रत्युत्तर शपथ पत्र को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मान बहादुर सिंह और प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता श्री विवेक कुमार सिंह को सुना गया।
3. विरोधी पक्षों के अधिवक्ताओं ने संयुक्त बयान दिया है कि वे अब कोई और शपथ पत्र दाखिल करने का विचार नहीं रखते हैं, अतः पक्षों की सहमति से, इस रिट याचिका का निस्तारण नए चरण पर ही किया जा रहा है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और SSF में कांस्टेबल (सामान्य इयूटी), असम राइफल्स में राइफलमैन (सामान्य इयूटी) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो परीक्षा-2025 में सिपाही के पद पर भर्ती के लिए एक विज्ञापन/अधिसूचना प्रकाशित की गई थी। विज्ञापन के अनुसार, भर्ती प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण, दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण शामिल हैं। रिट याचिकाकर्ता ने स्वयं को सभी प्रकार से पूर्णतः पात्र और योग्य होने का दावा करते हुए उक्त पद पर भर्ती के लिए एक ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और 21.02.2025 (पाली-II) को दोपहर 12:00 बजे से 01:00 बजे तक परीक्षा केंद्र 8992 ION - डिजिटल जोन IDZ दुहाई, R.D. इंजीनियरिंग कॉलेज, दुहाई रोड, गाजियाबाद में आयोजित होने वाली कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए ई-प्रवेश पत्र जारी किया गया था। याचिकाकर्ता ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा में योग्य और सफल घोषित होने का दावा किया है और शारीरिक मानक परीक्षण/शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए एक ई-प्रवेश पत्र जारी किया गया था, जो 27.08.2025 को CISF यूनिट - SSG ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर में आयोजित होना निर्धारित था। याचिकाकर्ता ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबल सामान्य इयूटी के लिए शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने का दावा किया है और उसे योग्य घोषित किया गया था। इसके पश्चात कंप्यूटर आधारित परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल होने पर, याचिकाकर्ता के पक्ष में 21.11.2025 को दस्तावेज़ सत्यापन और विस्तृत चिकित्सा परीक्षण के लिए उपस्थित होने हेतु एक प्रवेश पत्र जारी किया गया था और याचिकाकर्ता उक्त स्थान पर उपस्थित हुआ। हालाँकि, 24.11.2025 को विस्तृत चिकित्सा परीक्षण आयोजित किया गया जिसमें रिट याचिकाकर्ता को इस आधार पर अनुपयुक्त घोषित

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कर दिया गया कि वह "पीठ/दाहिनी टांग/बाई बगल" पर "विटिलिगो पैच" (सफेद दाग) से पीड़ित था। इसके बाद याचिकाकर्ता को समीक्षा चिकित्सा परीक्षण के लिए उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया, जो 25.11.2025 को आयोजित किया जाना था, याचिकाकर्ता समीक्षा चिकित्सा परीक्षण के समक्ष उपस्थित हुआ और 26.11.2025 को एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई जिसके द्वारा रिट याचिकाकर्ता को उपरोक्त विकृति के कारण पुनः अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया। रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, उसने सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल, जो LLRM मेडिकल कॉलेज, मेरठ से संबद्ध है, में स्वयं का परीक्षण कराया और दावा किया कि उक्त विकृति वहां मौजूद नहीं है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर, जो उसे संबंधित कार्य के लिए योग्य दर्शाती है, विस्तृत चिकित्सा रिपोर्ट और समीक्षा चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।

5. इस न्यायालय ने निर्देश मांगते हुए 10.02.2026 को इस रिट याचिका पर विचार किया।
6. प्रतिवादियों द्वारा डी.आई.जी.पी., गुप सेंटर, सी.आर.पी.एफ., प्रयागराज, उत्तर प्रदेश द्वारा हस्ताक्षरित दिनांक 27.02.2026 का जवाबी शपथ पत्र दाखिल किया गया, जिस पर एक प्रत्युत्तर शपथ पत्र दाखिल किया गया है।
7. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि विस्तृत चिकित्सा परीक्षण और समीक्षा चिकित्सा परीक्षण की रिपोर्ट को इतना सटीक नहीं कहा जा सकता कि वह रिट याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दे। विशेष रूप से तब, जब याचिकाकर्ता के पक्ष में सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल (जो एल.एल.आर.एम. मेडिकल कॉलेज, मेरठ से संबद्ध है) और एल.एल.आर.एम. मेडिकल कॉलेज के पैथोलॉजी विभाग से प्राप्त रिपोर्ट मौजूद है। दलील यह है

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कि जब दो अलग-अलग रिपोर्ट हों, एक याचिकाकर्ता को अनुपयुक्त और दूसरी उपयुक्त मानती हो, तो एक अंतिम और निश्चित निष्कर्ष निकालने के लिए, इस मामले की पुनः समीक्षा मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच की आवश्यकता है। तर्क यह है कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय (पुलिस-II डिवीजन) द्वारा दिनांक 31.05.2021 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है, जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में GOs और NGOs के लिए समीक्षा चिकित्सा परीक्षा हेतु संशोधित समान दिशा-निर्देश प्रदान करता है। जिसके अनुसार, खंड-6(सी) यह प्रावधान करता है कि जिस दोष के लिए उम्मीदवार को अनफिट घोषित किया गया है, उसकी गहन जांच की जानी चाहिए और निष्कर्षों को उचित जांच रिपोर्ट (यदि लागू हो) द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए और समीक्षा मेडिकल बोर्ड को इस संबंध में राय प्राप्त करनी चाहिए। तर्क यह है कि वर्तमान मामले में, यह निर्धारित करने के लिए कोई पैथोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल या बायोप्सी नहीं की गई कि क्या उक्त कथित विकृति याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करने का आधार बनेगी।

8. दूसरी ओर, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित श्री विवेक सिंह का तर्क है कि एक बार जब प्रतिवादियों के प्रतिष्ठान और संगठन में विस्तृत परीक्षण बोर्ड और समीक्षा परीक्षण बोर्ड के गठन का प्रावधान मौजूद है और जब उक्त रिपोर्टें दर्शाती हैं कि याचिकाकर्ता अनफिट है, तो प्रतिवादी कानूनी रूप से बाध्य नहीं हैं कि वे प्रतिवादियों के अधिकार क्षेत्र से बाहर गठित किसी भी मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर भरोसा करें या उनसे प्रभावित हों। दलील यह है कि याचिकाकर्ता इस बात पर जोर नहीं दे सकता कि एक विशेष रिपोर्ट जो उसके अनुकूल है, उसे ही विचार में लिया जाए न कि प्रतिवादियों की रिपोर्टों को। आगे यह तर्क दिया गया कि जिन रिपोर्टों पर याचिकाकर्ता भरोसा करना चाहता है, वे याचिकाकर्ता को यह अधिकार नहीं देती कि वह फिट है। उनके अनुसार, भारत सरकार के गृह मंत्रालय का दिनांक 20.03.2025 का एक कार्यालय ज्ञापन है, जिसके

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अनुसार पैरा-6 अस्वीकृति के सामान्य आधारों से संबंधित है और मद संख्या 19 में विटिलिगो (सफेद दाग) की विकृति का उल्लेख है। दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले (**रिट याचिका (सिविल) संख्या 15804/2025, नाओमी नीजौजम हाओकिप बनाम कर्मचारी चयन आयोग एवं अन्य, दिनांक 14.10.2025 को तय**) पर भरोसा जताया गया है।

9. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है।
10. तथ्य विवाद में नहीं हैं। यह विवाद का विषय नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 2, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और एसएफ में कांस्टेबल (जीडी), असम राइफल्स में राइफलमैन (जी.डी.) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो परीक्षा-2025 में सिपाही के पद पर भर्ती के लिए एक विज्ञापन/अधिसूचना प्रकाशित की गई थी। परीक्षा पास करने के बाद, याचिकाकर्ता को विस्तृत चिकित्सा परीक्षण बोर्ड के समक्ष चिकित्सा परीक्षण किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता को पीठ/दाहिनी टांग/बाईं बगल पर विटिलिगो पैच (सफेद दाग) के कारण अनफिट घोषित किया गया था। 25.11.2025 को समीक्षा चिकित्सा परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें याचिकाकर्ता को फिर से असफल घोषित कर दिया गया। हालाँकि रिट याचिकाकर्ता इस तथ्य पर विवाद नहीं करता है कि विटिलिगो रोग एक उम्मीदवार को अनफिट बनाता है, लेकिन रिट याचिकाकर्ता की आपत्ति यह है कि विस्तृत चिकित्सा परीक्षण दिनांक 24.11.2025 और समीक्षा चिकित्सा परीक्षा दिनांक 26.11.2025 की रिपोर्ट सटीक नहीं हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता एल.एल.आर.एम. मेडिकल कॉलेज, मेरठ से संबद्ध सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल की चिकित्सा रिपोर्ट और एल.एल.आर.एम. मेडिकल कॉलेज, मेरठ की रिपोर्ट पर भरोसा करना चाहता है, जो प्रत्युत्तर शपथ पत्र के पृष्ठ 20, 23 और 24 पर संलग्न हैं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अब प्रश्न यह उठता है कि क्या यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए एक सामान्य आदेश द्वारा यह मान सकता है कि विस्तृत चिकित्सा परीक्षण और समीक्षा चिकित्सा परीक्षण की रिपोर्टों को गलत कहा जा सकता है। इसका उत्तर स्पष्ट रूप से "नहीं" है। वास्तव में, न्यायालयों के पास ऐसे मामलों में तकनीकी विशेषज्ञता नहीं होती है, क्योंकि रिपोर्टों को गलत ठहराना न तो न्यायालयों का क्षेत्र है और न ही उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। दिलचस्प बात यह है कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्क का पूरा आधार यह है कि 31.05.2021 के कार्यालय ज्ञापन को देखते हुए, विस्तृत चिकित्सा परीक्षण बोर्ड और समीक्षा चिकित्सा बोर्ड इस संबंध में पैथोलॉजिकल परीक्षण कराने के लिए बाध्य थे, जो नहीं किया गया है।

11. क्लॉज (c) और (d) पर भरोसा जताया गया है जो इस प्रकार हैं:

"समीक्षा चिकित्सा बोर्ड के लिए दिशा-निर्देश:

(c) जिस दोष के लिए उम्मीदवार को अनफिट घोषित किया गया है, उसकी गहन जांच की जानी चाहिए और निष्कर्षों को उचित जांच रिपोर्ट (यदि लागू हो) द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।

(d) समीक्षा चिकित्सा बोर्ड किसी भी संदेह की स्थिति में सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के संबंधित विशेषज्ञों या सुपर विशेषज्ञों की राय प्राप्त कर सकता है। इसलिए, समीक्षा चिकित्सा परीक्षा में अस्वीकृति के मामलों में, नैदानिक निष्कर्षों को पुष्टिकारक परीक्षणों/जांच/विशेषज्ञों/सरकारी अस्पतालों/मेडिकल कॉलेजों/सरकार द्वारा अनुमोदित निजी चिकित्सा केंद्रों के सुपर विशेषज्ञों की राय (जो भी और जहाँ भी लागू हो) के साथ पुष्ट किया जाना चाहिए।"

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

12. यद्यपि याचिकाकर्ता के अनुसार पैथोलॉजिकल जांच आवश्यक है, लेकिन मेडिकल बोर्ड के अनुसार, पैथोलॉजिकल जांच का कोई सवाल ही नहीं उठता, विशेष रूप से तब जब विकृति स्पष्ट हो। यह न्यायालय स्पष्ट रूप से रिट अधिकार क्षेत्र में मामले के उक्त पहलू पर अपनी राय देने के लिए बाध्य नहीं है।

13. फिर भी दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने '**नाओमी नीजौजम हाओकिप (उपरोक्त)** के मामले में एक अन्य खंडपीठ के निर्णय '**कर्मचारी चयन आयोग बनाम अमन सिंह; 2024 एससीसी आनलाइन दिल्ली 7600**' पर भरोसा करते हुए निम्नानुसार टिप्पणी की:

"8. इस संदर्भ में, 'कर्मचारी चयन आयोग बनाम अमन सिंह' में इस न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा की गई टिप्पणियों का उल्लेख किया जा सकता है, जिसे हम में से एक (न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर) द्वारा लिखा गया था, जिसमें एक समान मुद्दे की जांच की गई थी और न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि चिकित्सा अधिकारी यह आकलन करने के लिए सबसे सक्षम हैं कि क्या कोई संभावित उम्मीदवार पद के लिए निर्धारित चिकित्सा मानकों को पूरा करता है और ऐसे मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप का दायरा सीमित है। की गई टिप्पणियों का प्रासंगिक अंश नीचे उद्धृत किया गया है:

10.38 हमारी सुविचारित राय में, निम्नलिखित सिद्धांत लागू होंगे:

(i) सशस्त्र और अर्धसैनिक बलों, या पुलिस जैसे सुरक्षा (आंतरिक और बाहरी) से जुड़े अनुशासित बलों में भर्ती के मामले में लागू होने वाले सिद्धांत सामान्य नागरिक भर्ती पर लागू होने वाले सिद्धांतों से अलग और भिन्न हैं। फिटनेस के मानक और आयोजित की जाने वाली परीक्षा की कठोरता निस्संदेह उच्च और सख्त है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(ii) मेडिकल बोर्ड या समीक्षा मेडिकल बोर्ड के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा या न्यायिक हस्तक्षेप पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। उपयुक्त मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है।

(iii) हालाँकि, सामान्य सिद्धांत निस्संदेह सावधानी बरतने का है। न्यायालय को इस तथ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए कि यह न तो जटिल चिकित्सा ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों से भरा है, और न ही उस बल की आवश्यकताओं से अवगत है जिसमें संबंधित उम्मीदवार प्रवेश चाहता है। यह एक अकाट्य धारणा है कि न्यायाधीश चिकित्सा पुरुष या चिकित्सा की जटिलताओं, चिकित्सा विज्ञान या चिकित्सा स्थितियों से परिचित व्यक्ति नहीं हैं। इसलिए, उन्हें इस संबंध में अधिकारियों के निर्णयों, विशेष रूप से मेडिकल बोर्डों के निर्णयों का सम्मान करना चाहिए जिन्होंने उम्मीदवार का मूल्यांकन किया है। अतः न्यायालय का कार्य केवल यह जांचना हो सकता है कि जिस तरीके से मेडिकल बोर्ड द्वारा उम्मीदवार का मूल्यांकन किया गया था और मेडिकल बोर्ड जिस निष्कर्ष पर पहुँचा है, वह विश्वास पैदा करता है या कानून, प्रक्रिया या निष्पक्षता के किसी स्थापित मानदंड का उल्लंघन करता है। यदि ऐसा नहीं होता है, तो न्यायालय स्वयं रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री की जांच करके इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता कि उम्मीदवार संबंधित बीमारी से पीड़ित है या नहीं, क्योंकि यह मेडिकल बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध अपील में बैठने के समान होगा, जिसकी कानून में अनुमति नहीं है।

(iv) वे स्थितियाँ जिनमें न्यायालय मेडिकल बोर्ड या समीक्षा मेडिकल बोर्ड द्वारा उम्मीदवार के परीक्षण के अंतिम परिणाम में वैध रूप से हस्तक्षेप कर सकता है, सीमित हैं, लेकिन अच्छी तरह से परिभाषित हैं। इनमें से कुछ को निम्नानुसार सूचीबद्ध किया जा सकता है:"

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(a) परीक्षण के दौरान पालन की जाने वाली निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन हस्तक्षेप के लिए एक वैध आधार बनता है। यदि उम्मीदवार का परीक्षण उस तरीके से नहीं हुआ है जिसकी आवश्यकता लागू दिशा-निर्देशों या निर्धारित प्रक्रिया में है, तो परीक्षण और उसके परिणाम स्वतः ही दूषित माने जाएंगे।

(b) यदि DME (विस्तृत चिकित्सा परीक्षा) और RME (समीक्षा चिकित्सा परीक्षा), या अपीलीय मेडिकल बोर्ड के निष्कर्षों के बीच कोई उल्लेखनीय विसंगति है, तो हस्तक्षेप उचित ठहराया जा सकता है। इसमें, न्यायालय को इस बात के प्रति सचेत रहना होगा कि "विसंगति" क्या है। उदाहरण के लिए, ऐसी स्थिति जिसमें DME उम्मीदवार को तीन चिकित्सा स्थितियों से पीड़ित पाता है, जबकि RME या अपीलीय मेडिकल बोर्ड उम्मीदवार को उन तीन स्थितियों में से केवल एक से पीड़ित पाता है, तो इसे विसंगति नहीं माना जाएगा, जब तक कि उम्मीदवार को उस स्थिति की उपस्थिति के कारण अयोग्य घोषित किया जाता है जो DME और RME या अपीलीय मेडिकल बोर्ड दोनों द्वारा समान रूप से पाई गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जहाँ तक उक्त स्थिति के अस्तित्व का संबंध है, DME और RME या अपीलीय मेडिकल बोर्ड के बीच राय में सहमति और एकरूपता है। ऐसी स्थिति में, न्यायालय सामान्यतः यह स्वीकार कर लेगा कि उम्मीदवार उक्त स्थिति से पीड़ित था। इसके बाद, चूंकि यह मुद्दा कि क्या उक्त स्थिति उम्मीदवार को बल (Force) से बाहर करने के लिए पर्याप्त है, न्यायालय के सरोकार का विषय नहीं है, इसलिए उम्मीदवार की याचिका को खारिज करना होगा।

(c) यदि स्थिति ऐसी है जिसमें विशेषज्ञ की राय की आवश्यकता है, और उम्मीदवार का परीक्षण करने वाले बोर्डों में कोई विशेषज्ञ नहीं है, तो हस्तक्षेप का मामला बनता है। हालाँकि, इसमें

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि स्थिति ऐसी है जिसके लिए विशेषज्ञ द्वारा परीक्षण की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, कोई बवासीर या त्वचा के घाव का अस्तित्व, जो उम्मीदवार को देखने वाले किसी भी डॉक्टर को स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, और एक आंतरिक ऑर्थोपेडिक विकृति, जिसके लिए रेडियोग्राफिक परीक्षण और विश्लेषण या नेत्र संबंधी दोष की आवश्यकता हो सकती है, के बीच अंतर किया जा सकता है। जहाँ किसी ऐसी चिकित्सा स्थिति का अस्तित्व, जिसके मूल्यांकन के लिए सामान्यतः विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है, केवल उन मेडिकल बोर्डों द्वारा प्रमाणित किया जाता है जिनमें ऐसा कोई विशेषज्ञ शामिल नहीं है, तो न्यायालय विशेषज्ञ या विशेषज्ञ वाले बोर्ड द्वारा उम्मीदवार के नए सिरे से परीक्षण का निर्देश देने में उचित होगा। यह तब और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जब उम्मीदवार ने स्वयं किसी विशेषज्ञ से संपर्क किया हो जिसने उसके पक्ष में राय दी हो।

(d) जहाँ मेडिकल बोर्ड, चाहे वह DME हो या RME या अपीलीय मेडिकल बोर्ड, स्वयं उम्मीदवार को राय के लिए किसी विशेषज्ञ या किसी अन्य अस्पताल या डॉक्टर के पास भेजता है, भले ही उक्त राय बाध्यकारी न हो, मेडिकल बोर्ड को उस राय की उपेक्षा करने और उसके विपरीत निर्णय लेने के कारण बताने होंगे। इसलिए, यदि उम्मीदवार किसी विशेष बीमारी से पीड़ित है या नहीं, इस पहलू पर प्रतिवादी स्वयं उम्मीदवार को किसी अन्य डॉक्टर या अस्पताल के पास भेजते हैं, और उक्त डॉक्टर या अस्पताल की राय उम्मीदवार के पक्ष में है, तो यदि मेडिकल बोर्ड, उक्त डॉक्टर या अस्पताल के निर्णय को स्वीकार न करने का कोई कारण बताए बिना उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर देता है, तो हस्तक्षेप का मामला बनता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(e) इसी प्रकार, यदि मेडिकल बोर्ड विशेषज्ञ जांच जैसे कि रेडियोग्राफिक या अल्ट्रासोनोलॉजिकल परीक्षण की मांग करता है, तो उक्त परीक्षणों के परिणामों को मेडिकल बोर्ड द्वारा अनदेखा नहीं किया जा सकता है। यदि वह ऐसा करता है, तो हस्तक्षेप का मामला बनता है।

(f) यदि उम्मीदवार की चिकित्सा परीक्षा आयोजित करने के तरीके को नियंत्रित करने वाले लागू दिशा-निर्देश, नियम या विनियम हैं, तो यदि DME या RME निर्धारित प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं, तो हस्तक्षेप का एक स्पष्ट मामला बनता है।

(v) संबंधित उम्मीदवार द्वारा निजी, या यहाँ तक कि सरकारी अस्पतालों से प्राप्त की गई राय, पुनः परीक्षण के लिए मामले को भेजने का वैध आधार नहीं हो सकती। साथ ही, यदि स्थिति ऐसी है जिसमें विशेषज्ञ की राय की आवश्यकता है, और मेडिकल बोर्ड तथा समीक्षा मेडिकल बोर्ड में ऐसे विशेषज्ञ शामिल नहीं हैं, तो न्यायालय उम्मीदवार को विशेषज्ञ या विशेषज्ञ वाले मेडिकल बोर्ड द्वारा पुनः परीक्षण कराने का निर्देश देने में उचित हो सकता है। ऐसा निर्देश पारित करते समय, न्यायालय ऐसे विशेषज्ञ की राय पर वैध रूप से भरोसा कर सकता है, भले ही वह उम्मीदवार द्वारा निजी तौर पर प्राप्त की गई हो। हालांकि, यह दोहराया जाता है कि यदि मेडिकल बोर्ड या समीक्षा मेडिकल बोर्ड में ऐसे डॉक्टर शामिल हैं जो उम्मीदवार की स्थिति पर निर्णय देने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित और योग्य हैं, तो उम्मीदवार द्वारा अपनी मर्जी से प्राप्त की गई बाहरी चिकित्सा राय, भले ही वह उसके पक्ष में हो और DME या RME के निष्कर्षों के विपरीत हो, उम्मीदवार को नई चिकित्सा परीक्षा के लिए भेजने को उचित नहीं ठहराएगी।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(vi) "साध्यता" (curability/ठीक होने की संभावना) का पहलू कई मामलों में महत्व रखता है। कुछ चिकित्सा स्थितियाँ ठीक होने योग्य हो सकती हैं। न्यायालय को ऐसे मामलों से निपटने में सतर्क रहना होगा। यदि लागू नियमों या दिशा-निर्देशों में स्वयं स्थिति को इस रूप में निर्दिष्ट किया गया है कि इसके अस्तित्व मात्र से उम्मीदवार अनफिट हो जाता है, तो न्यायालय साध्यता के पहलू को खारिज कर सकता है। यदि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, और स्थिति उपचार से ठीक होने योग्य है, तो मामले के तथ्यों के आधार पर, न्यायालय यह राय दे सकता है कि समीक्षा मेडिकल बोर्ड को उम्मीदवार को अपनी स्थिति का उपचार कराने और ठीक होने का मौका देना चाहिए था। हालाँकि, यह न्यायालय द्वारा अपनी मर्जी से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि न्यायालय साध्यता या उम्मीदवार को बीमारी ठीक करने का मौका देने की सलाह के संबंध में चिकित्सा राय देने का जोखिम नहीं उठा सकता है। ऐसा निर्णय केवल तभी लिया जा सकता है जब किसी ऐसे स्रोत से आधिकारिक चिकित्सा राय हो, जिससे स्वयं प्रतिवादियों ने राय मांगी हो या उम्मीदवार को भेजा हो, कि स्थिति उपचार से ठीक होने योग्य है। ऐसे मामले में, यदि समीक्षा मेडिकल बोर्ड के लिए उम्मीदवार की फिटनेस पर अपना निर्णय देने के लिए कोई बाध्यकारी समय सीमा नहीं है, तो न्यायालय, किसी दिए गए मामले में, उम्मीदवार को उसकी स्थिति सुधारने का अवसर प्रदान करने के बाद नए सिरे से परीक्षण का निर्देश दे सकता है। यह याद रखना होगा कि समीक्षा मेडिकल बोर्ड का प्रावधान अनफिट उम्मीदवारों को खुद को फिट बनाने के अवसर के रूप में नहीं सोचा गया है, बल्कि केवल प्रारंभिक मेडिकल बोर्ड के निर्णय की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए है जिसने उम्मीदवार का मूल्यांकन किया था।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(vii) न्यायिक समीक्षा का दायरा, हर समय, संबंधित उम्मीदवार की चिकित्सा परीक्षा तक ही सीमित रहना चाहिए। न्यायालय को यह टिप्पणी करने, और राय देने से पूरी तरह वर्जित किया गया है कि उम्मीदवार जिस चिकित्सा अक्षमता से पीड़ित हो सकता है, वह ऐसी नहीं है जो संबंधित बल के सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों के निर्वहन में हस्तक्षेप करेगी। उम्मीदवार की जिस चिकित्सा स्थिति से वह पीड़ित है, उसे देखते हुए बल के सदस्य के रूप में कार्य करने की उपयुक्तता का आकलन पूरी तरह से बल के सदस्यों पर छोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि केवल वे ही उस कार्य की प्रकृति से अवगत हैं जो उम्मीदवार को, यदि नियुक्त किया जाता है, करना होगा, और उक्त कार्य को करने की उम्मीदवारों की क्षमता के बारे में जानते हैं। दूसरे शब्दों में, एक बार जब न्यायालय यह पाता है कि यह निर्णय कि संबंधित उम्मीदवार किसी विशेष बीमारी से पीड़ित है, न्यायिक हस्तक्षेप के योग्य नहीं है, तो मामला वहीं समाप्त हो जाना चाहिए। न्यायालय एक कदम आगे बढ़कर यह जांच नहीं कर सकता कि क्या बीमारी ऐसी है जो उम्मीदवार को संबंधित बल में नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त बना देगी।

(जोर दिया गया)

9. उपरोक्त निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ऐसे मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप सामान्यतः अनुचित है क्योंकि अनुशासित बलों में भर्ती के लिए चिकित्सा उपयुक्तता के मानक कठोर होते हैं और इसके लिए विशेषज्ञ मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। न्यायालय, ऐसे निष्कर्षों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए चिकित्सकीय और तकनीकी रूप से सुसज्जित नहीं होने के कारण, विधिवत गठित चिकित्सा बोर्डों की राय का सम्मान करना चाहिए और केवल वहीं हस्तक्षेप करना चाहिए जहाँ प्रक्रिया, स्थापित कानून, या निष्पक्षता के सिद्धांतों का स्पष्ट

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उल्लंघन हो। निर्णय इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि किसी उम्मीदवार द्वारा अपनी मर्जी से निजी या सरकारी अस्पताल से प्राप्त की गई राय, DME और RME के निष्कर्षों को खारिज करने और/या उनकी समीक्षा की मांग करने के लिए वैध आधार नहीं बन सकती।

10. वर्तमान मामले के तथ्यों पर ध्यान दें तो, याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को दोनों आँखों में 6/9 की दोषपूर्ण दृष्टि के कारण अनफिट होने के आधार पर चिकित्सकीय आधार पर खारिज कर दिया गया था, जिसे DME और RME दोनों ने समान रूप से बरकरार रखा है। चरक पालिका अस्पताल से प्रस्तुत नेत्र परीक्षण रिकॉर्ड भी किसी पुनर्विचार को उचित नहीं ठहराता है। इस प्रकार, हम पाते हैं कि 'अमन सिंह' (उपरोक्त) में न्यायिक हस्तक्षेप के लिए निर्धारित शर्तों में से कोई भी वर्तमान मामले में संतुष्ट नहीं होती है।"

14. प्रासंगिक रूप से, याचिकाकर्ता द्वारा जिस रिपोर्ट पर भरोसा किया गया है, वह सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल, एल.एल.आर.एम. मेडिकल कॉलेज, मेरठ से संबद्ध (अनुलग्नक-RA-2 पृष्ठ-20/21 पर) और पैथोलॉजी विभाग, एल.एल.आर.एम. मेडिकल कॉलेज की है, जो केवल 'पंच बायोप्सी' की बात करती है और कई हिस्सों के लिए 'रिपीट बायोप्सी' की सलाह दी गई है। वैसे भी, बायोप्सी केवल तभी की जाती है जब मामला 'मैलिग्नेंसी' (घातकता/कैंसर) का हो, अतः, इस बात को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता कि वहां विटिलिगो (सफेद दाग) की विकृति नहीं है।

15. तदनुसार, हस्तक्षेप के लिए कोई ठोस आधार नहीं बनता है। अतः, रिट याचिका **खारिज** की जाती है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



16. आज दाखिल किए गए निर्देशों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है और परिशिष्ट-ए के रूप में अंकित किया जाता है।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

16 मार्च, 2026

आशु

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।